भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 312
दिनांक 10 अगस्त, 2023

वेपर रिकवरी सिस्टम

†*312. श्री हसनैन मसूदी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ईंधन भरने के दौरान वाहनों/टैंकों से निकलने वाले वोलेटाइल कम्पाउंड बेंजीन युक्त पेट्रोल वाष्प के कारण होने वाले वायु प्रदूषण का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जम्मू और कश्मीर सहित पेट्रोल पंपों पर संस्थापित वेपर रिकवरी सिस्टम की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या 100 किलोलीटर प्रति माह की बिक्री क्षमता वाला वेपर रिकवरी सिस्टम संस्थापित करने में विफल रहने वाली चूककर्ता तेल कंपनियों पर पर्यावरण सम्बन्धी मुआवजा लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'वेपर रिकवरी सिस्टम' के बारे में संसद सदस्य श्री हसनैन मसूदी द्वारा दिनांक 10.08.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 312 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का आकलन है कि पेट्रोल पंप बेंजीन उत्सर्जन (एक कार्सिनोजेनिक कम्पाउन्ड) और अन्य वीओसी (वोलाटाइल ऑर्गेनिक कम्पाउंड) उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत हैं, जिससे सेकेण्डरी पार्टिकुलेट्स और जमीनी स्तर पर ओजोन का निर्माण हो सकता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंप) पर वेपर रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) इंस्टाल करने का निर्देश दिया था। माननीय एनजीटी और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ओएमसीज ने दिल्ली-एनसीआर में सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों पर वीआरएस इंस्टाल कर दिया है। इसके अलावा, सीपीसीबी ने 1 मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों में प्रति माह 100 केएल से अधिक मोटर स्पिरिट (एमएस) की बिक्री करने वाले सभी मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों (दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर) एवं 01 लाख से 1 मिलियन के बीच की आबादी वाले शहरों में प्रति माह 300 केएल से अधिक की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों पर वीआरएस इंस्टाल करने के लिए ओएमसीज को निर्देश जारी किए थे। तदनुसार, पीएसयू ओएमसीज ने एनजीटी/सीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।

दिनाँक 01.07.2023 की स्थिति के अनुसार, वेपर रिकवरी सिस्टम वाले पीएसयू ओएमसी खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्य-वार संख्या, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भी शामिल है, **अनुलग्नक** में दी गई है।

माननीय एनजीटी द्वारा निर्देशित किए जाने पर सीपीसीबी ने दिल्ली के लिए वीआरएस इंस्टाल करने की समयसीमा का पालन न करने के कारण प्रत्येक पीएसयू ओएमसीज से एक करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा वसूल किया था। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समयसीमा बढ़ाए जाने के कारण सीपीसीबी ने वसूल किए गए पर्यावरणीय मुआवजे की राशि वापस कर दी थी।

****

अनुलग्नक

"वेपर रिकवरी सिस्टम" के संबंध में श्री हसनैन मसूदी द्वारा दिनांक 10.8.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 312 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्रम.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिनांक 01.07.2023 की स्थिति के अनुसार वीआरएस वाले पीएसयूज ओएमसीज के पेट्रोल पंपों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	3
2	आंध्र प्रदेश	69
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	7
5	बिहार	35
6	चंडीगढ़	28
7	छ िसगढ़	38
8	दमन दीव और दादरा और नगर हवेली	0
9	दिल्ली	392
10	गोवा	12
11	गुजरात	342
12	हिमाचल प्रदेश	0
13	हरियाणा	1828
14	जम्मू और कश्मीर	27
15	झारखंड	33
16	कर्नाटक	410
17	केरल	35
18	लक्षद्वीप	0
19	ल ाख	0
20	महाराष्ट्र	614
21	मेघालय	3
22	मणिपुर	1
23	म य प्रदेश	151
24	मिजोरम	1
25	नगालैंड	0
26	ओडिशा	13
27	पंजाब	55
28	पुडुचेरी	2
29	राजस्थान	579
30	सि िम	0
31	तेलंगाना	244
32	तमिलनाडु	349
33	त्रिपुरा	3
34	उ र प्रदेश	981
35	उ राखंड	3
36	प ि म बंगाल	64
	योग	**6322**

स्रोत: तेल विपणन कंपनियां